कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल याचिका संख्या 6378/2021 तालिब खान बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 14.07.2021 में याचिकार्थी को अप्रार्थीगण के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं अप्रार्थीगण को याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को कन्सीडर कर आख्यात्मक आदेश के जरिए निस्तारित करने के निर्देश दिये गए।

याचिकार्थी ने अपने अभ्यावेदन में मुख्य रूप से यह कथन किया है कि वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 विषय–उर्दू में विभाग द्वारा उदयपुर मण्डल आवंटित किया गया एवं याचिकार्थी वर्तमान में राजकीय माध्यमिक विद्यालय, दरीबा, जिला–राजसमंद में वरिष्ठ अध्यापक (उर्दू) के पद पर कार्यरत है। याचिकार्थी के कथनानुसार वह दृष्टि बाधित दिव्यांग है। अतः याचिकार्थी ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर राजसमंद जिले (उदयपुर मण्डल) से मूलनिवास सवाईमाधोपुर जिले (भरतपुर मण्डल) में पदस्थापन करने की मांग की है।

याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.07.2021 के परिप्रेक्ष्य एवं विभागीय नियमों, अभिलेखीय व नीतिगत स्थिति के सम्बन्ध में गहन अवलोकन व परीक्षण किया गया। वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय) भर्ती परीक्षा 2018 में चयनित एवं अभिस्तावित अभ्यर्थियों को सम्भाग आवंटन हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त दिशा–निर्देश दिनांक 02.07.2020 के बिन्दु संख्या–A(II) के अनुसार " राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा एक साथ अभिस्तावना नहीं भिजवाए जाने पर प्रथम अभिस्तावना के पश्चात् आयोग द्वारा जब जब भी अभ्यर्थियों की अभिस्तावना भिजवाई जाती है, तब–तब ऐसे अभ्यर्थियों का संभाग में विज्ञापित पदों में शेष उपलब्ध पदों पर अभ्यर्थी के चयन वर्गवार, स्वयं के वर्ग, मेरिट एवं संभाग एवं संभाग की प्राथमिकता की अनुसार संभाग आवंटन किया जावे" के निर्देश दिए गए थे, जिसके अनुसार ही सम्भाग आवंटन किया गया है।

वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय) भर्ती परीक्षा 2018 विषय–उर्दू में विज्ञापित 118 पदों के विरुद्ध आयोग द्वारा चयनित एवं अभिस्तावित 110 अभ्यर्थियों को विभाग द्वारा दिनांक 13.08.2020 को प्रथम मण्डल आवंटन किया गया। विभाग द्वारा किए गए प्रथम मण्डल आवंटन दिनांक तक याचिकार्थी की अभिस्तावना प्राप्त नहीं होने के कारण याचिकार्थी को प्रथम मण्डल आवंटन में शामिल नहीं किया गया। याचिकार्थी की अभिस्तावना प्राप्त होने पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त दिशा–निर्देश दिनांक 02.07.2020 की पालना में विभाग द्वारा दिनांक 03.11.2020 को किए गए मण्डल आवंटन में याचिकार्थी को उसकी वरियतानुसार तथा उसके वर्ग एवं चयन वर्ग OBCM, BL के आधार पर उदयपुर मण्डल आवंटित किया गया। विभाग द्वारा दिनांक 03.11.2020 को किए गए मण्डल आवंटन के समय वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय) भर्ती परीक्षा 2018 विषय–उर्दू में याचिकार्थी के वर्ग एवं चयन वर्ग OBCM, BL में भरतपुर मण्डल हेतु विज्ञापित कोई भी पद रिक्त नहीं था।

याचिकार्थी द्वारा गृह मण्डल में वरिष्ठ अध्यापक (उर्दू) के वर्तमान में पद रिक्त होने के आधार पर आवंटन की मांग के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम 1971 के अनुसार वरिष्ठ अध्यापक का पद मण्डल स्तर का है, जिसका नियुक्ति अधिकारी संबंधित मण्डल का संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) (पूर्व में उप निदेशक) है। अतः संयुक्त निदेशक (समस्त सम्भाग) रोस्टर के आधार पर वर्गवार आरक्षण के अनुसार अर्थना तैयार कर विभाग को प्रेषित करता है। विभाग सभी मण्डलों से वर्गवार प्राप्त अर्थना को संकलित कर वर्गवार योग्य अभ्यर्थियों के चयन हेतु अर्थना आयोग को प्रेषित करता है। आयोग परीक्षा का आयोजन कर अर्थना में प्रदर्शित वर्गवार अभ्यर्थियों का चयन कर वर्गवार एवं चयन वर्गवार अभिस्तावना विभाग को नियुक्ति हेतु प्रेषित करता है। आयोग से वर्गवार एवं चयन वर्गवार अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु प्राप्त अभिस्तावना के अनुसार विभाग द्वारा मण्डल आवंटन की कार्यवाही आयोग को प्रेषित मण्डलवार वर्गवार अर्थना की सीमा तक की जाती है। जिस मण्डल में वर्गवार जितने पद विज्ञापित किये जाते है, उतने ही अभ्यर्थी वर्ग एवं चयन वर्गवार नियुक्ति हेतु आवंटित किये जाते है। इस प्रकार मण्डल आवंटन के समय अथवा वर्तमान में किसी मण्डल या जिले में रिक्त पद के आधार पर अभ्यर्थी द्वारा पदस्थापन की मांग औचित्यपूर्ण नहीं है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा भी एस.बी.सिविल याचिका संख्या 11311/2015 श्वेता बनाम सरकार में यह निर्णय पारित किया है कि "the appointment can be claimed as a matter of right but posting can not be claimed as a matter of right because it is the prerogative of the employer to take work from the

employee as per availability of post." इस प्रकार कार्मिक द्वारा इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकारस्वरूप नहीं की जा सकती। कार्मिक की व्यक्तिगत परिस्थितियों के आधार पर कार्मिक के पक्ष में इच्छित स्थान पर पदस्थापन का अधिकार सृजित नहीं होता है।

अतः याचिकार्थी द्वारा उदयपुर मण्डल के स्थान पर भरतपुर मण्डल आवंटित कर गृह जिले सवाईमाधोपुर में वरिष्ठ अध्यापक (उर्दू) के रिक्त पद पर पदस्थापित करने की मांग उपर्युक्त वस्तुस्थिति एवं विभागीय नीति के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं पाई गई है। मांग उचित नहीं पाये जाने के कारण इस मांग को अस्वीकृत की जाकर अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक,माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान,बीकानेर
दिनांकः– 02/09/2021

क्रमांकः– शिविरा–मा./संस्था/एफ–2/को.के./जोध./12980/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, उदयपुर संभाग
2. संयुक्त विधि परामर्शी, कार्यालय हाजा।
3. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
4. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) विधि, जोधपुर
5. याचिकार्थी तालिब खान वरिष्ठ अध्यापक, रामावि, दरीबा, जिला–राजसमंद **(रजिस्टर्ड)**
6. रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)

कार्यालय पता– निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर दूरभाष 0151–2522238 Email- dir.dse@rajasthan.gov.in